

समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के आलोक में जिला चयन समिति की दिनांक 16.08 की बैठक में तारापुर विधानसभा के लिए अनुमोदित निम्नलिखित योजनाओं का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृ पश्चात कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 481 दिनांक 2012 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं। योजना हेतु सरकारी भूमि की उपलब्धता के सं अंचल अधिकारी, तारापुर के पत्रांक 487 दिनांक 14.09.2012 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है।

सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित योजनाओं पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति तथा सरकारी भूमि की उपल से संबंधित प्रतिवेदन के आलोक में निम्न प्रकार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्र०	योजना का नाम	प्रखण्ड	तकनीकी स्वी० राशि	प्राक्कलित राशि	प्राथमिक कमा
1	2	3	4	5	6
1	ग्राम लौना में आर्दश वैदिक पुस्तकालय के पास सामुदायिक भवन का निर्माण	तारापुर	650700.00	650700.00	07
2	ग्राम नवटोलिया विद्यालय के पास कला मंच का निर्माण	तारापुर	465400.00	465400.00	10
योग-			1116100.00	1116100.00	

शर्तें-

- कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- योजना कार्यान्वयन से पूर्व उस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रवैधिकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
- कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप सुनिश्चित करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- राशि का संधारण वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
- किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नहीं होगा।
- कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।
- योजना के कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख में जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।
- योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
- योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
- कार्यकारी एजेंसी इस योजना में कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना सरकारी जमीन हो एवं वर्णित कार्य किसी अन्य मद से नहीं कराया जा रहा है।
- योजना का एनओसी संबंधित विभाग से प्राप्त कर लेंगे।

ह -
जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

प्रतिलिपि- ज्ञापांक 481 / जि०यो०, दिनांक..... 17/12/12
कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि- संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ।

ह -
जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।